भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 268400

दस्तावेज ट्रस्ट(डीड / न्यास पत्र)

हम कि राजबहादुर सिंह पुत्र स्व० रमाशंकर सिंह सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर, पो०–उधरन, तहसील–बेल्थरा रोड,जनपद–बलिया (उ०प्र०) द्वारा ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 28/04/2016 को अस्तित्व मे लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय,आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा,आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा,शैक्षिक जागरूकता,शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा,गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति,अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने मे विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। मै राजबहादुर सिंह मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम व श्रीमती सुमन सिंह ,महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। ट्रस्ट का नाम,पता निम्नवत् है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम –	रमाशंकर एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता–	ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो०–उधरन तहसील–बेल्थरा रोड,जनपद–बलिया (उ०प्र०)।
मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय	ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो०–उधरन तहसील–बेल्थरा तहसील–बेल्थरा रोड,जनपद–बलिया (उ०प्र०)।

ट्रस्ट का कार्यालय आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

राजबहादुर सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CT 504043

(2)

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये है।

(1) राज बहादुर सिंह पुत्र स्व0रमाशंकर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0छपरन जनपद–बलिया। (मुख्यसंस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

(2) कुसुम सिंह पत्नी श्री राजबहादुर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–छपरन जनपद–बलिया। (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

(3) शिवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राजबहादुर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–छपरन जनपद–बलिया। (सदस्य)

(4) पारुल सिंह पुत्री श्री राजबहादुर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–छपरन जनपद–बलिया। (सदस्य)

(5) इन्द्रावती देवी पत्नी श्री ब्रह्मानन्द सिंह ग्राम–पुरा उर्फ करछवा पो0–मुजैनी जनपद–बलिया। (सदस्य)

(6) रूपल सिंह पुत्री श्री राजबहादुर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–छपरन जनपद–बलिया। (सदस्य)

(7) मैना देवी पत्नी स्व0 रमाशंकर सिंह ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–छपरन जनपद–बलिया। (सदस्य)

राज बहादुर सिंह

Scanned with CamScanner

1कं=०० सौ रुपये आशीष एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट कुकाहीं, उधरन, बलिया

न्यास पत्र

220.00	130	340.00	3000
प्रति रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	

न्यास की गति

श्री राजबहादुर सिंह

पुत्र श्री स्व0 रमाकान्त सिंह

व्यवसाय

निवासी स्थायी कुकाहीं रसीद पुर परगना सि0 गढ़ी जिला बलिया

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/1/2016 समय 3:42PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार पाण्डेय प्र

उप निबन्धक बेल्थरा

बेल्थरा रोड

28/1/2016

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री राजबहादुर सिंह

पुत्र श्री स्व0 रमाकान्त सिंह

पेशा

निवासी कुकाहीं रसीद पुर परगना सि0 गढ़ी जिला बलिया

[redacted]

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान अमरजीत सिंह

पुत्र भोला सिंह

पेशा

निवासी कुकाहीं रसीद पुर परगना सि0 गढ़ी जिला बलिया

व दुर्ग विजय सिंह

पुत्र स्व0 सुरेन्द्र नाथ सिंह

पेशा

निवासी कुकाहीं रसीद पुर परगना सि0 गढ़ी जिला बलिया

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार पाण्डेय प्र

उप निबन्धक बेल्थरा

बेल्थरा रोड

28/1/2016

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 037157

(3)

ट्रस्ट का नाम –	रमाशंकर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता–	ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–उभांव तहसील–बेल्थरा तहसील–बेल्थरा रोड,जनपद–बलिया (उ0प्र0)।
ट्रस्ट का मुख्यालय–	ग्राम–कुशहाँ रसीदपुर,पो0–उभांव तहसील–बेल्थरा तहसील–बेल्थरा रोड,जनपद–बलिया (उ0प्र0)।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–	सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएं प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय,संस्कृत महाविद्यालय,नर्सिंग संस्थान,चिकित्सा शिक्षा,मेडिकल कालेजो एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल मे मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा,अनौपचारिक शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजो व विभिन्न खेलो की व्यवस्था,क्रीडा क्लब प्रबन्धन,प्रशिक्षण संस्थान,क्रीडा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने मे प्रकाश फैले इसके लिए सम्भव कार्य करना, संस्थाओं की स्थापना करना,कम शुल्क मे पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना ट्रस्ट भूमि भवन व पूंजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन,मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगो को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना,खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलाई गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय,अनाथालय,छात्रावास,सांस्कृतिक केन्द्र,आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम,वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान,बालोत्थान,कुष्ठरोगी अस्पताल,प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी,कलाकेन्द्र,उद्यान, साहित्य

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AR 037158

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(4)

आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंगहोम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवी आपदा में जिला,राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समन्वय स्थापन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी,अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज(पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0,बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज,सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0 ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चन्दा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा । गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के राजकीय,राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उनके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा आश्रम,अनाथालय,वृद्ध आश्रम,चिकित्सालय,कुष्ठ आश्रम,विद्यालय,महाविद्यालय, व्यावसायिक ,तकनीकी, प्रशिक्षण, चिकित्सकीय संस्थाओं आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रास लीला, रामलीला, मेला,यज्ञ,आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठो की स्थापना व उनका संचालन करना। इनकी स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अन्धविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समन्वय–साधन व सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक धर्मार्थ (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि,बागवानी,पशुपालन,गृह उद्योग,खाद्य प्रसंस्करण,नारी उत्थान,अनुसूचित जाति,अनुसूचित

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   AR 037172

(5)

जनजाति,पिछड़े वर्ग का उत्थान,भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास,स्वैच्छीकरण का विकास,औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च शिक्षा,प्राविधिक शिक्षा),चिकित्सा शिक्षा,कम्प्यूटर शिक्षा,कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा,वन, आवास एवं शहरी नियोजन,गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला, भाषा, धर्मार्थ कार्य,लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा,परिवहन, परिवार कल्याण,समाज कल्याण, पर्यटन,खाद्य एवं रसद,मनोरंजन, बालविकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिज, कर्मचारी-खेल-कूद,युवा कल्याण,खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमिविकास, जल संसाधन,परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण,लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग,दुग्ध विकास,साम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायतीराज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा,न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायतीराज, बैंकिंग भाषा,मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,सतर्कता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एवं जन सम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण,कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व,प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण,गंगा-यमुना आदि स्वच्छीकरण, आपदा राहत,पेयजल एवं स्वच्छता,सहकारी समितियां, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा,प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,रिमोट सेंसिंग, ललित कला,चित्रकला,वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आंतरिक लेखा परीक्षा,संगीत, नाटक,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार,भण्डारण, विचार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　AR 037173

करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा– 13(1) तथा धारा–11(5) एवं संबंधित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

हिन्दी,संस्कृत,उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल,इण्टर कालेज,डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक, तकनीकी चिकित्सा व्यावसायिक, औद्योगिक संस्थानो/केन्द्रो आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित मे संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि ।

आयकर अधिनियम 1991 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा ।

ट्रस्ट/ट्रस्टी का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जबतक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा । प्रथम एवं द्वितीय ट्रस्टी के अन्त के बाद इनके पुत्रों मे जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली मे से कोई इस पद को धारण करेगा ।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– रमाशंकर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत ।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 07 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम, द्वितीय की सहमति से 51,000/– रूपये(इक्यावन हजार

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 037174

रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थाई सदस्य बनाया जा सकता है। यह नियम संस्थापक ट्रस्टी के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त रुपया 10,000/–(रुपयेदस हजार) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। जिनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा परन्तु प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा ।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

मुख्य संस्थापक संरक्षक ट्रस्टी प्रथम

1. संरक्षक ट्रस्टी(न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना ।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट(न्यास) के कार्यहित मे लिये गये निर्णय सर्वमान्य होगे ।
3. संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना ।
5. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
6. ट्रस्ट(न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) वाह्य एवं आंतरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट एवं न्यास के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना ।
8. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि–भवन का क्रय विक्रय लीज(पट्टा) अथवा किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना ।

राम बहादुर सिंह

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   AR 037175

9. मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10 मुख्यट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान /दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग,चन्दा,आम जनता किसी भी व्यक्ति,फर्म,एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना ।

11. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास है।

12. संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नही होगा ।

13. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट(न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों,परिनियमो के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना ।

15. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओ, कार्यक्रमो,क्रिया–कलापों मे निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना,पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि मे विवादित नही किया जा सकेगा न ही चुनौती दी जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 037176

10. ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं,कार्यक्रम,क्रिया कलापों आदि की समस्त धनराशियों एवं खातों का संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव अपने हस्ताक्षर से करेगा। तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा ।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना ।
3. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना ।
4. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
5. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति,अनुशासनात्मक कार्यवाही,पदोन्नति,निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है ।
6. ट्रस्ट(न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट(न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट(न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना ।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 037177

(10)

साधारण सभा(गठन)– साधारण सभा का गठन ट्रस्ट(न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 11,000/– रुo संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमाकराकर नये सदस्य बनाये जा सकते है। किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी कम से कम 07 और अधिकतम संख्या 09 होगी तथा इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा ।

बैठकें–

1. साधारण बैठकें– ट्रस्ट (न्यास)के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले लिखित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2. विशेष बैठक– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– सधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है। यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी ।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 037178

(11)

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे–

अ– वार्षिक आय–व्यय बजट पेश करना।

ब– ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

स– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

द– ट्रस्ट(न्यास)के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट(न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक / मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट(न्यास) का महासचिव प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AR 037179

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मांग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक आदेश पोस्टिंग अथवा समाचार पत्रों द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग–पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट(न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी । नये सदस्य की स्थाई नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 11000/–रुपये नकद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव के हस्ताक्षर से निर्गत होगी।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्त्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य होंगे।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AR 037180

3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति,निलम्बन,निष्कासन,पदोन्नति,विनियमितीकरण का अनुमोदन करना।

4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उन्हे वार्षिक अधिवेशन के समक्ष साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया– समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्द्धन कर सकती है। नियमावली की वर्टिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा ।

22. ट्रस्ट (न्यास) के कोष – ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक मुख्य ट्रस्टी व महासचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 413630

ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी सीए आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा ।

24. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 413628

25. ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख– ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर,स्टाक रजिस्टर,कैशबुक, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26. रमाशंकर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से 11000/–रूपये प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है।

27. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी ।

रमाशंकर एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के पास वर्तमान समय में कुल रू0 11,500/–(रूपये ग्यारह हजार पांच सौ मात्र) के अतिरिक्त कोई भी चल व अचल सम्पत्ति नहीं है ।

दिनांक–20/6/16
दस्तखत गवाह–1

...अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला।

...

लेख — क्रम सं0 328

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 28-Jan-2016

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम रामबहादुर सिंह

लेख का प्रकार भाग पत्र

प्रतिफल की धनराशि 0.00 / 11,000.00

1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क 220.00
2. प्रतिलिपिकरण शुल्क 120
3. निरीक्षण या तलाश शुल्क
4. मुख्तारनामा के अधिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क
5. कमीशन शुल्क
6. विविध
7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 340.00

शुल्क वसूल करने का दिनांक 28-Jan-2016

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 28-Jan-2016

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (II) 76AC 696527

टाईपकर्ता–प्रभाकर तहसील–बैल्थरारोड जनपद–बलिया।

मसविदाकर्ता–सुरेन्द्र यादव वo नo–बैल्थरारोड जनपद–बलिया।

Scanned with CamScanner